संख्या-196/2015/1778/71-1-2015-जी-383/2013

प्रेषक,

राजकुमार सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 09 दिसम्बर, 2015

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में प्रवेश क्षमता 100-150 सीट हेतु एम0सी0आई0 मानक के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/2015/3278, दिनॉक 24-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में प्रवेश क्षमता 100-150 सीट हेतु एम0सी0आई0 मानक के अनुसार संलग्न तालिका में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षकों के 05 अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित नियमित वेतनमान में दिनॉक 29-02-2016 तक, बशर्ते कि इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- सृजित किये जा रहे नियमित पद के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तें आदि नियमानुसार देय होंगे।

3- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति विभागीय नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा- प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के वेतनादि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1528/दस-2015, दिनॉक 30 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 196/2015/1778(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
6- नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण विभाग।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।